



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 14-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 25, 2018 (MAGHA 5, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 2018

संख्या 20/एसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 26/एसटी-2, दिनांक 22 जून, 2017, उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, का अधिक्रमण करते हुए, इसके द्वारा, रजिस्ट्रीकरण, कर के भुगतान, विवरणियों को प्रस्तुत करने, एकीकृत कर के संगणन और बन्दोबस्त को सुकर बनाने के लिए www.gst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल और इलैक्ट्रॉनिक वे बिल प्रस्तुत करने के लिए www.ewaybillgst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करते हैं ।

व्याख्या.-

(1) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “www.gst.gov.in” से अभिप्राय है, ऐसी वेबसाइट जिसका प्रबंध कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित कंपनी माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा किया गया है; और

(2) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, “www.ewaybillgst.gov.in” से अभिप्राय है, ऐसी वेबसाइट जिसका प्रबंध भारत सरकार इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा किया गया है।

2. यह अधिसूचना जनवरी, 2018 के 16वें दिन से लागू हुई समझी जाएगी ।

आशिमा बराड़,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 25th January, 2018

No. 20/ST-2.— In exercise of the powers conferred by Section 146 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) and in supersession of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 26/ST-2, dated 22nd June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Haryana hereby notifies www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and www.ewaybillgst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for furnishing electronic way bill.

Explanation.—

(1) For the purposes of this notification, “www.gst.gov.in” means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013); and

(2) For the purposes of this notification, “www.ewaybillgst.gov.in” means the website managed by the National Informatics Centre, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 16th day of January, 2018.

ASHIMA BRAR,
Special Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.